PBR/निग/मन्दसौर/भू-रा/2017/1601

(95)

माननीय न्यायालय मध्यप्रदेश राजस्व मंडल केंद्र, ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रं.   /2017 निगरानी

श्री ए. आर. यादव अभि. द्वारा प्रस्तुत उज्जैन 17-5-17

गेंदीबाई मृत वारिसान आदि
1. बाबुलाल पिता गोरधनलाल
2. शंकरलाल पिता गोरधनलाल
3. देवीलाल पिता गोरधानलाल
सभी निवासीगण- ग्राम ऐरा, तहसील
सीतामऊ जिला **मंदसौर** ......आवेदकगण

विरूद्ध

1. धन्नालाल पिता हंसराज,
2. बाला शंकर दत्तक पुत्र काशीराम,
3. कचरूलाल पिता बगदीराम,

मृत द्वारा वारिसान -
अ- राधेश्याम पिता कचरूलाल
ब- जगदीश पिता कचरूलाल
स- सुरेश पिता कचरूलाल
सभी निवासीगण-ग्राम ऐरा तहसील
सीतामऊ जिला **मंदसौर** ....अनावेदकगण

पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा-50 म.प्र. भु-राजस्व संहिता

माननीय महोदय,

आवेदकगण अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार महोदय, सीतामऊ जिला मंदसौर के प्रकरण क्रं. 01/अ-6-अ/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 30/03/17 से असंतुष्ट एवं दुखित होकर निम्न कारणों के आधार पर पुनरीक्षण अंदर अवधि प्रस्तुत करते है:-

1. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश जेर निगरानी विधि विधान एवं रिकार्ड के विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय को उक्त प्रकरण को सुनने **का क्षेत्राधिकार नहीं है**

(3)

निरंतर...2

-11

05

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/मंदसौर/भू.रा./2017/1601

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
10/1/19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री ए.आर. यादव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, जिला मंदसौर के समक्ष उपस्थित हों। (3) **प्रशासकीय सदस्य**	

22/

23.5.

5-7-18